

मूल वाद में डिक्री (आदेश 20 के नियम 6 ओर 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्डुनू

(पीठासीन अधिकारी :- हवाई सिंह यादव, आर. ए. एस.)


निर्णय दिनांक :

मुकदमा नं. :- 365/2023

जगनाराम बनाम पुस्कर वगै०


वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री हेमराज किलानिया व प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 1.1.25 को हवाई सिंह यादव उपखण्ड अधिकारी झुन्डुनू के समक्ष निपटारे के पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री की जाती है कि वाद वादीगण अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर राजस्व राजस्व ग्राम/कस्बा झुन्डुनू के हाल भूमि खसरा नं. 953 रकबा 2.11 है० का राजस्व रिकॉर्ड वादीगण के नाम व भूमि खसरा नं. 951 रकबा 2.40 है० भूमि का राजस्व रिकॉर्ड प्रतिवादीगण के नाम दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 1.1.25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा द्वारा जारी किया गया।


(हवाई सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी, झुन्डुनू

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
स्टाम्प अर्जी दावा	6	स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा	1	स्टाम्प अर्जी	
मेहनतनामा वकील		मेहनतनामा वकील पर	
खर्चा गवाहान		खर्चा गवाहान	
फीस कमिशनर		फीस कमिशनर	
बाबत इजराय हुक्मनामा		बाबत इजराय हुक्मनामा	
		मुतफरिक	
योग	7	योग	


(हवाई सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी, झुन्डुनू